न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 274 / 2021

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
मानाराम		सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी.

निर्णय **दिनांक** 9/5/2022 19/4/2022

प्रार्थी मानाराम वगैराह के द्वारा प्रस्तुत मामले में प्रार्थी कैलाशदान पुत्र हीरसिंह जाति चारण निवासी बड़ी खुर्द हालमुकाम बिलाड़ा की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की पुश्तैनी भूमि ग्राम बड़ी खुर्द में आयी हुयी है तथा प्रार्थी की खातेदारी की पुश्तैनी रहवासीय मकान व जमीन जायदाद स्थित है, प्रार्थी गांव का मौजीज व्यक्ति है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 172, 173, 175 गै.मु. ओरण है, उक्त खसरे की भूमि में से खसरा नम्बर 174 गै.मु. रास्ता है, जो तरमीमशुदा है ट्रैस नक्शे में दर्ज है, जो रास्ता ग्राम बड़ी खुर्द मुख्य डामर से सड़क ग्राम बड़ीकलां जाता है, जो संलग्न नक्शे में दर्शाया हुआ है। ग्राम बीजासनी के सरपंच महोदय के रिश्तेदार सगे जेठ ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र धारा 131 आर.टी.एक्ट के तहत पेश कर खसरा नम्बर 173 की ओर भूमि अलग से नया रास्ता तरमीम कराने हेतु पेश किया है, जबकि उक्त खसरे 173 व 175 के बीच खसरा नम्बर 174 राजस्व रेकर्ड गै.मु. रास्ता तरमीमशुदा पूर्व से दर्ज है। इसलिए प्रार्थी को मानाराम को ओरण भूमि खसरा नम्बर 173 मे नया रास्ता निकालने व तरमीम कराने का कोई कानूनी अधिकार नही है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी कैलाशदान गांव के प्रतिष्ठित एवं आम आदमी की हैसियत से पक्षकार बनकर न्यायालय के समक्ष सही तथ्य पेश करना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी कैलाशदान को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपरोक्त प्रार्थना पत्र का प्रार्थीगण मानाराम की ओर से जवाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सेटलमेण्ट के समय राजस्व कर्मचारी द्वारा लिपीकीय भूलवश या त्रुटीवश खसरा नम्बर 174 गै.मु. रास्ता की तरमीम (मार्क अ ब स द) दर्ज कर दी गयी है, जबकि मौके पर खसरा नम्बर 171 के मुख्य डामर सड़क से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 173, 175 गै.मु. ओरण की भूमि में से होकर (संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए बी सी डी के अनुसार) रासता चलता है, उक्त भूमि पर महानरेगा के तहत वितिय स्वीकृति जारी कर सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। खसरा नम्बर 173, 175, 174 के रेकर्डेड खातेदार तहसीलदार बिलाड़ा आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें प्रार्थना पत्र हमें पक्षकार बनाया हुआ है। अतः कैलाशदान इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बन सकता है। अन्त में जवाब पेश कर प्रार्थी कैलाशदान का प्रार्थना पत्र खारीज करने का आदेश फरमावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम बड़ी खुर्द तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 173, 175, 174 के रेकर्डेड खातेदार तहसीलदार बिलाड़ा व सरपंच ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है, जो मौजूदा प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। गैर मुमकीन ओरण तथा गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर हक व अधिकार तहसीलदार बिलाड़ा का है इस कारण प्रार्थी कैलाशदान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इस कारण प्रार्थी कैलाशदान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारीज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 2/5/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 274 / 2021

प्रार्थीगण :–

1. मानाराम पुत्र तुलछाराम
2. जितेन्द्र पुत्र नारायणराम
3. पूनाराम पुत्र छोगाराम
   जातियान भाट, निवासीगण बड़ीकलॉ, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.
4. मोहनलाल पुत्र ढगलाराम, जाति कुम्हार, निवासी बड़ी कलॉ, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा
2. सरपंच ग्राम पंचायत बीजासनी, तहसील बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट

आदेश दिनांक :– 17/7/2023

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बड़ी खुर्द, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 2 बीघा 07, बिस्वा आयी हुयी है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदारी की है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण व अन्य लोगो के 50–60 आवासीय मकान बने हुये है तथा विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया हुआ है एवं प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासी सपरिवार सहित निवास करते है। ग्राम बड़ी खुर्द तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 171 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता स्थित है, उक्त गै.मु. रास्ता ग्राम मालकोसनी से कस्बा बिलाड़ा की ओर जाता है तथा रास्ता पर पक्की डामर सड़क निर्मित की हुई है। खसरा नम्बर 171 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता (ग्राम मालकोसनी से कस्बा बिलाड़ा) के ठीक दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 6.7228 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओरण स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण व बड़ीकलॉ के ग्रामवासी को मुख्य डामर सड़क खसरा नम्बर 171 से अपनी भूमि खसरा नम्बर 139 में बने आवासीय मकान में निवास करने हेतु भूमि खसरा नम्बर 173, 175 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. वाले आम रास्ते से होकर पहुचते है तथा इसी मार्क ए.बी.सी. डी. आम रास्ते से प्रार्थीगण व बड़ीकलॉ के ग्रामवासी ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल व अन्य साधन लेकर आते–जाते है। प्रार्थीगण व बड़ी कलॉ के ग्रामवासी का भ्ज्ञूमि खसरा नम्बर 139 में तथा ग्राम बीजासनी पंचायत में कार्य करने हेतु का एकमात्र

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रास्ता है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 139 में आने जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 173, 175 किस्म गै.मु. ओरण के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग के आम रास्ते से आते जाते है, इसी मार्क ए.बी.सी.डी. भाग के आम रास्ते पर कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा बड़ीकलॉं से रतोबा की ढाणी का ग्रेवल सड़क निर्माण करने हेतु की अभिशंषा जिला कलक्टर जोधपुर को की गयी, जिस पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर जोधपुर ने दिनांक 25.03.2009 को, बड़ी कलॉं से रतोबा भाट की ढाणी होते हुए डामर सड़क तक ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य करने हेतु 4,96,000/– रूपये .की वितीय स्वीकृति राशि को जारी किया, जिसकी पालना करते हुए सरपंच, ग्राम पंचायत मालकोसनी ने महानरेगा के तहत संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए.बी.सी.डी. स्थान पर मुडिया सड़क बना दी गयी। उसके पश्चात् उक्त खसरा नम्बर 139 को मुख्य डामर सड़क से जोड़ने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत मालकोसनी ने दिनांक 09.12.2014 को प्रस्ताव संख्या 3 को पारित किया है। तत्पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा खसरा नम्बर 173, 175 के मार्क ए.बी.सी.डी. स्थान पर डामर सड़क से रतोबा की ढाणी होते हुए बीजासनी सीमा ग्रेवल सड़क निर्माण एवं ग्रेवल सड़क के दोनो तरफ पौधारोपण व नाला निर्माण का कार्य करने हेतु का पत्रांक संख्या 272 दिनांक 10.06.2021 को जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं जिला कलक्टर जोधपुर को वितीय स्वीकृति राशि की अभिशंषा के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसकी पालना में रतोबा की ढाणी होते हुए बीजासनी सीमा ग्रेवल सड़क तक की 13,98,000/– रूपये की वितीय स्वीकृति राशि जारी की गयी। जिसकी पालना में सरपंच ग्राम पंचायत बीजासनी ने मुख्य सड़क खसरा नम्बर 171 से खसरा नम्बर 173, 175 के अनुसार ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य व नाला निर्माण कार्य कर दिया गया है। ग्राम बडी खुर्द की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 6.7228 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओरण के ठीक दक्षिणी दिशा की ओर खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3398 हैक्टेयर किस्म गै. मु. रास्ता स्थित है, जिसे प्रार्थन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये नजरी नक्शा में मार्क अ.ब.स.द. बताया गया है। जो रास्ता सेटलमेन्ट के समय से ही नही चलता है। खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3398 का उपयोग कभी भी प्रार्थीगण व ग्रामवासी द्वारा रास्ते के रूप में काम में नही लिया गया है। सेटलमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा लिपिकीय भूलवश या त्रुटिवश खसरा नम्बर 174 गै.मु. रास्ता की तरमीम मार्क अ.ब.स.द. दर्ज कर दी गयी है, जबकि मौके पर खसरा नम्बर 171 के मुख्य डामर सड़क से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 173, 175 गै. मु. ओरण की भूमि में से होकर मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार रास्ता चलता है, जो रतोबा की ढाणी खसरा नम्बर 139 तक पहुचता है। सेटलमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारी को खसरा नम्बर 174 रकबा गै.मु. रास्ता की भूमि को मार्क ए. बी.सी.डी. की तरमीम करने के बजाय खसरा नम्बर 173 के दक्षिणी व खसरा नम्बर 175 के उतरी दिशा की ओर बीच में तरमीम कर दी गयी है, जो एक सद्भाविक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है, जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर ... अधिकारी, बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडी खुर्द तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3398 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता के राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में किये गये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क अ.ब.स.द. के अनुसार गलत तरमीम इन्द्राज की दुरूस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 171 के दक्षिण दिशा की ओर भूमि खसरा नम्बर 173, 175 में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए.बी.सी.डी. खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3398 हैक्टेयर के अनुसार तरमीम दर्ज करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण् के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडी खुर्द की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 171 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है उक्त रास्ता बिलाड़ा से हरियाडा की मुख्य सड़क है। पद संख्या 3 वादी स्वयं साबित करे। खसरा नम्बर 173 किस्म गै.मु. ओरण रकबा 6.7228 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 175 गै.मु. ओरण रकबा 8.6159 में से मौका फर्द अनुसार रास्ता चल रहा है एवं खसरा नम्बर 174 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.3398 मौका फर्द अनुसार बिन्दु ई.एफ.जी.एच. तक बंद है जो, काम नही आ रहा है। पद संख्या 5 से 7 कानूनी है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार खसरा नम्बर 173 व 175 किस्म गै.मु. ओरण में से होकर जो रास्ता वर्तमान में चालू है। उसे राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की इस्तदुआ की है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 174 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.3398 हैक्टेयर के बदले खसरा नम्बर 173 व 175 किस्म गै.मु. ओरण से रास्ते की मांग की गई है। वर्तमान में यह रास्ता मौके पर चालू है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बडी खुर्द के खसरा नम्बर 174 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.3398 जो वर्तमान में चालू नही है के स्थान पर वर्तमान में जो रास्ता खसरा नम्बर 173 व 175 किस्म गै.मु. ओरण में से चल रहा है, के बदले राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने की इस्तदुआ की है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता उपस्थित हुए और अपना जवाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बड़ी खुर्द, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा आयी हुयी है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदारी की है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण व अन्य लोगो के 50-60 आवासीय मकान बने हुये है। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बड़ी खुर्द तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 171 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता स्थित है, उक्त गै.मु. रास्ता ग्राम मालकोसनी से कस्बा बिलाड़ा की ओर जाता है तथा रास्ता पर पक्की डामर सड़क निर्मित की हुई है। खसरा नम्बर 171 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता (ग्राम मालकोसनी से कस्बा बिलाड़ा) के ठीक दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि,

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 173 रकबा 6.7228 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओरण स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण व बड़ीकलॉ के ग्रामवासी को मुख्य डामर सड़क खसरा नम्बर 171 से अपनी भूमि खसरा नम्बर 139 में बने आवासीय मकान में निवास करने हेतु भूमि खसरा नम्बर 173, 175 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. वाले आम रास्ते से होकर पहुचते है तथा इसी मार्क ए.बी.सी.डी. आम रास्ते से प्रार्थीगण व बड़ीकलॉ के ग्रामवासी ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल व अन्य साधन लेकर आते–जाते है। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए.बी.सी.डी. भाग के आम रास्ते पर कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा बड़ीकलॉ से रतोबा की ढाणी का ग्रेवल सड़क निर्माण करने हेतु की अभिशंषा जिला कलक्टर जोधुपर को की गयी, जिस पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर जोधपुर ने दिनांक 25.03.2009 को बड़ी कलॉ से रतोबा भाट की ढाणी होते हुए डामर सड़क तक ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य करने हेतु 4,96,000/– रूपये की वितीय स्वीकृति राशि को जारी किया, जिसकी पालना करते हुए सरपंच, ग्राम पंचायत मालकोसनी ने महानरेगा के तहत संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए.बी.सी.डी. स्थान पर मुडिया सड़क बना दी गयी। उसके पश्चात् उक्त खसरा नम्बर 139 को मुख्य डामर सड़क से जोड़ने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत मालकोसनी ने दिनांक 09.12.2014 को प्रस्ताव संख्या 3 को पारित किया है। तत्पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति बिलाड़ा द्वारा खसरा नम्बर 173, 175 के मार्क ए.बी.सी.डी. स्थान पर डामर सड़क से रतोबा की ढाणी होते हुए बीजासनी सीमा ग्रेवल सड़क निर्माण एवं ग्रेवल सड़क के दोनो तरफ पौधारोपण व नाला निर्माण का कार्य करने हेतु का पत्रांक संख्या 272 दिनांक 10.06.2021 को जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं जिला कलक्टर जोधपुर को वितीय स्वीकृति राशि की अभिशंषा के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसकी पालना में रतोबा की ढाणी होते हुए बीजासनी सीमा ग्रेवल सड़क तक की 13,98,000/– रूपये की वितीय स्वीकृति राशि जारी की गयी। जिसकी पालना में सरपंच ग्राम पंचायत बीजासनी ने मुख्य सड़क खसरा नम्बर 171 से खसरा नम्बर 173, 175 के अनुसार ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य व नाला निर्माण कार्य कर दिया गया है। पद संख्या 4 प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है। सेटलमेन्ट द्वारा जारी किया गया नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3398 हैक्टेयर किस्म गै.मुं. रास्ता का रास्ते के रूप में उपयोग कभी भी प्रार्थीगण व ग्रामवासी द्वारा रास्ते के रूप में काम में नही लिया गया है। पद संख्या 5 प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वयं साबित करे। पद संख्या 6 व 7 कानूनी है।

अन्त में जवाब पेश कर नवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बड़ी खुर्द तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3398 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता के राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में किये गये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क अ.ब.स.द. के अनुसार गलत तरमीम इन्द्राज की दुरूस्ती की जाकर राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 171 के दक्षिण दिशा की ओर भूमि खसरा नम्बर 173, 175 में प्रार्थना पत्र के साथ

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ए.बी.सी.डी. खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3398 हैक्टेयर के अनुसार तरमीम दर्ज करने का आदेश फरमावे।

उभय पक्षकारान को बहस सुनी गयी। पत्रावली व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण राजस्व ग्राम बड़ी खुर्द की सीमा में स्थित खसरा संख्या 174 रकबा 0.3398 गै.मु. रास्ता जिसकी तरमीम वक्त सेटलमेन्ट से ही हो रखी है जो वर्तमान में भी कायम है तथा प्रार्थीगण खसरा संख्या 174 गै. मु. रास्ता की तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के स्थान पर करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है। वक्त सेटलमेन्ट से हो रखी खसरा संख्या 174 की तरमीम को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है अपितु सेटलमेन्ट विभाग को है। इसके अलावा प्रार्थीगण खसरा संख्या 174 की नये सिरे से तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के स्थान पर करवाना चाहते है, जबकि मार्क ए.बी.सी.डी. की भूमि के खसरा संख्या 173 व 175 है जो गै.मु. ओरण की भूमि है तथा कानूनन ओरण की भूमि में न तो रास्ता दिये जाने का प्रावधान है व न ही रास्ता बाबत् भूमि की तरमीम दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 17/7/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलाश सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा